

प्रेस नोट दिनांक 03.08.2021

1. दिनांक 02.08.2021 को वादी श्री भीम सिंह स्व० बरदान सिंह नि० खानपुर थाना खण्डासा द्वारा सूचना दिया गया कि अयोध्या वाहन संख्या यूपी 42 बीटी 3659 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाइ बंशी सिंह को टक्कर मार देना जिनकी मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 504/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 02.08.2021 को वादी श्री अजीत कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र प्रताप यादव नि० दुर्गापुरी कालोनी मोनू चक्की के सामने थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो०सा० संख्या यूपी 51 एई 4288 चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 505/21 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 02.08.2021 को वादी उ०नि० श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सौरभ सिंह उर्फ दीपू पुत्र राज बहादुर उर्फ जसराम सिंह नि० भवनपूरा थाना फूंक जनपद भिन्ड मध्य प्रदेश गिर० अभि० द्वारा धोखाधड़ी व कूटरचना करके सेना का फर्जी कैप्टन बनकर वर्दी धारण करना व पकड़े जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 300/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 140 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 02.08.2021 को वादी उ०नि० श्री राजेश कुमार मिश्रा थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.करिया पुत्र रामसुचित 2.नन्द कुमार पुत्र त्रिभुवन उक्त दोनो गिर० 3.सुदामा पत्नी कल्लू नि०गण तिहुरा मांझा थाना को०अयोध्या अयोध्या अभियुक्तगण के कब्जे से 50 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने का उपकरण तथा 1 किग्रा यूरिया बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 383/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 02.08.2021 को वादी श्री लाल चौहान पुत्र बच्चाराम चौहान नि० रामघाट काशीराम कालोनी थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कल्लू नि० रामघाट काशीराम कालोनी थाना को०अयोध्या अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा घर में घुसकर वादी को मारना पीटना गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 384/21 धारा 323, 504, 506, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 02.08.2021 को वादी श्री मुमताज अंसारी पुत्र मो० इसहाक अंसारी नि० फिरोजपुर उपरहार थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मो० अफजल उफ़ सोनू आदि 07 नफर अभि०गण द्वारा एक राय होकर वादी की दूकान पर धावा बोलकर हमलावर होना, गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना सामान तोड़ देना तथा 5000 रूपये चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 356/21 धारा 147, 148, 323, 352, 504, 506, 427, 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7. दिनांक 02.08.2021 को वादी का० वीरेन्द्र तिवारी थाना इनायतनगर अयोध्या राम केवल पुत्र देवी प्रसाद नि० गोरवा पोस्ट कुम्भी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गिर० अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबन्ध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 396/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8. दिनांक 02.08.2021 को वादी उ०नि० श्री जितेन्द्र यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1.सगीर अहमद पुत्र शहजाद नि० हरिहरपुर बलैया थाना को०रूदौली अयोध्या गिर० 2.रामसंजीवन पुत्र राम अवतार नि० रानीकटरा थाना टिकैतनगर बाराबंकी गिर० 3.मो० फारूक पुत्र मो० आबिद नि० हैदरगंज सहबाजपुर थाना को०रूदौली अयोध्या गिर० 4.वैश पुत्र चन्दुल उर्फ इस्माइल 5.बराती उर्फ उस्मान पुत्र असलम नि०गण इमली पटवन थाना को०रूदौली अभि०गण द्वारा योजना बनाकर डकैती/लूट की तैयारी करते समय पकड़े जाना इनके कब्जे से 01 अदद डण्डा कील लगा हुआ, लोहे की राड़, 01 अदद मो०सा०, 01 पिकअप तथा अभि० राम संजीवन के कब्जे से 01 अदद तमंचा 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना, जिसके संबन्ध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 174/21 व 175/21 धारा 399, 402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।